न्यायालयः— दशम अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल म0प्र0

जमानत आवेदन क्रमांक :—183/2026

आबिद अली उर्फ राजू ईरानी आ0 अस्मत अली
आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी—अमन कॉलोनी
करोंद भोपाल (म.प्र.)

——आवेदक/आरोपी

बनाम

आरक्षी केन्द्र—निशातपुरा,
जिला, भोपाल (म.प्र.)

———अनावेदक/राज्य

———————————————————————————

20.01.2026

पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पत्रावली मेरे समक्ष प्रस्तुत

आवेदक/आरोपी की ओर से अधिवक्ता **मोहम्मद जफर** उपस्थित।

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक **सुश्री प्रीति श्रीवास्तव** उपस्थित।

यह जमानत आवेदन पत्र मान्नीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार अंतरण पर मय आरक्षी केन्द्र निशातपुरा, भोपाल के अपराध क्रमांक 963/2025 अंतर्गत धारा 296, 115(2), 326(जी), 296(ए), 333, 3(5) बीएनएस की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

आवेदक/आरोपी की ओर से तनु अली अली द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक उसका पति है। आवेदक का यह प्रथम जमानत आवेदन है इसके अतिरिक्त कोई नियमित जमानत आवेदन पत्र न तो किसी सत्र न्यायालय न ही माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किय गया और न ही निराकृत हुआ है। उक्त आवेदन में पैरवी करने हेतु उसने श्री मोहम्मद जफर रजा एवं उनके सहयोगी अधिवक्तागण को नियुक्त किया है।

आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में निवेदन किया है कि आवेदक के विरूद्ध थाना निशातपुरा भोपाल द्वारा झूठे आधारों पर आपराधिक प्रकरण क्रमांक 963/2025 पंजीबद्ध किया जाकर अभियुक्त को गिरफतार कर माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहां से उसे न्यायिक निरोध में भेज दिया गया है। आवेदक का यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र है इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होकर लंबित नहीं है और न ही निराकृत किया गया है और न ही निरस्त किया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया। पुलिस द्वारा असत्य आधारों पर प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक प्रतिष्ठित परिवार का सदस्य है एवं विचारण में सम्पूर्ण रूप से सहयोग करने हेतु तत्पर है। वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है, आवेदक के कहीं भागने अथवा फरार होने की संभावना नहीं है। अतः उसे नियमित जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अनावेदक/राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा विरोध करते हुये आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

फरियादिया ने उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर इस आशय की अनापत्ति पेश की कि आवेदक/अभियुक्त एक ही समुदाय का होकर करीबी रिश्तेदार है, घटना के समय काफी भीड़ हो गई थी तथा भीड़ में से किसी ने घटना कारित किये जाने के रूप में उसे आवेदक का नाम बता दिया था जिसके आधार पर उसने रिपोर्ट में आवेदक का नाम लेखबद्ध करा दिया था। आवेदक घटनास्थल पर नहीं था। उसे आवेदक की जमानत पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष के आवेदन पर तर्क सुने गये।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि **आरोपी आबिद अली उर्फ राजू ईरानी** के विरूद्ध धारा 296, 115(2), 326(जी), 296(ए), 333, 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है।

प्रकरण के अवलोकन से यह प्रकट है कि फरियादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी द्वारा मां बहन की गालियां देना, फरियादिया और उसके पति के साथ मारपीट कर, खिलौने एवं कपड़ों में आग लगाने तथा जान से मारने की धमकी देना बताया है। फरियादिया ने आज स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आवेदक को जमानत का लाभ दिये जाने में कोई आपत्ति न होना व्यक्त किया है।

आरोपी दिनांक 11.01.2026 से न्यायिक निरोध में है। जिससे ऐसा दर्शित होता है कि उसकी अन्वेषण में कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आदेशित किया जाता है यदि **आवेदक/आरोपी आबिद अली उर्फ राजू ईरानी** विचारण न्यायालय के संतुष्टि योग्य **15,000/–रूपये (पन्द्रह हजार रूपये)** की सक्षम प्रतिभूति एवं **15,000/–रूपये (पन्द्रह हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र निम्न शर्तों के अधीन प्रस्तुत किये जाने पर रिहा किया जावे।

01. आरोपी विचारण के दौरान उसें विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने पर स्वंय या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

02. आरोपी प्रकरण के तथ्यों से अवगत किसी साक्षी को धमकी, वचन अथवा प्रलोभन से प्रभावित नहीं करेगा।

03. आरोपी विचारण के दौरान समान प्रकृति का अपराध नहीं करेगा।

आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज किया जाकर अभिलेख, अभिलेखागार में नियत अवधि में जमा हो।

PALLAVI DWIVEDI
Digitally signed by PALLAVI DWIVEDI
Date: 2026.01.20 17:08:18 +0530

(पल्लवी द्विवेदी)
दशम अपर सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)